भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3937

जिसका उत्तर 19.12.2024 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति

3937. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:
श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में संस्वीकृत अथवा प्रचालनरत ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों (आईडीटीआर), क्षेत्रीय वाहन चालक प्रशिक्षण केन्द्रों (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्रों (डीटीसी) का ब्यौरा क्या है और उनके अनुमोदन की तिथियां, वर्तमान प्रचालनात्मक स्थिति और अवस्थिति क्या हैं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में इन संस्थानों की परियोजना लागत कितनी है, जिसमें केंद्र और राज्य के हिस्से के कितने हैं तथा उनकी स्थापना और संचालन के लिए केंद्र द्वारा कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में नए आईडीटीआर, आरडीटीसी अथवा डीटीसी के लिए कोई प्रस्ताव (उदाहरणार्थ विचाराधीन, सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित) हैं और इन प्रस्तावों के अनुमोदन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) आन्ध्र प्रदेश में ऐसे संस्थानों की स्थापना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं; और

(ङ) क्या राज्य वर्तमान अथवा अगले वित्त आयोग की अवधि के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रों के लिए पात्र है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) केंद्र सरकार का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना संचालित करती है। सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में तीन आईडीटीआर को स्वीकृति दी है। आंध्र प्रदेश राज्य में इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थानों/केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

परियोजना	**स्वीकृति की तिथि**	**अवस्थिति**	**प्रचालनात्मक स्थिति**
आई डी टी आर	25.03.2003	विजयवाड़ा	प्रचालनात्मक
आई डी टी आर	19.02.2016	दारसी , प्रकाशम जिला	परिचालन शुरू नहीं हुआ।
आई डी टी आर	19.04.2021	धोने, जिला नांदयाल (पूर्ववर्ती कुरनूल)	परिचालन शुरू नहीं हुआ।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में स्वीकृत तीन संस्थानों/केंद्रों की परियोजना लागत और योजना के तहत सरकार द्वारा वितरित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

परियोजना	**परियोजना लागत (लाख रुपए में)**	**केंद्रीय हिस्सेदारी (लाख रुपये में)**	**राज्य की हिस्सेदारी (लाख रुपये में)**	**केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित निधि (लाख रुपए में)**
डीटीआई, विजयवाड़ा	400.00	400.00	00.00	400.00
आईडीटीआर, दारसी , जिला प्रकाशम	1851.00	1634.50	216.50	476.90
आईडीटीआर, धोने, जिला नांदयाल (पूर्ववर्ती कुरनूल)	1850.00	1850.00	00.00	740.00

(ग) वर्तमान में, आंध्र प्रदेश राज्य में इस योजना के तहत नए आईडीटीआर, आरडीटीसी या डीटीसी की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) 15वें वित्त आयोग अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत आईडीटीआर/आरडीटीसी/डीटीसी की स्थापना के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**संस्थान/ केंद्र**	**योजना दिशानिर्देशों में पात्रता प्रावधान**
1.	आई डी टी आर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रति 5 करोड़ अनुमानित जनसंख्या पर एक आईडीटीआर, जिसमें पहले से स्वीकृत परियोजना(परियोजनाएँ) भी शामिल हैं।
2.	आरडीटीसी	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रति 2.50 करोड़ अनुमानित जनसंख्या पर एक आर.डी.टी.सी, जिसमें पहले से स्वीकृत परियोजना(परियोजनाएँ) भी शामिल हैं। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुमानित जनसंख्या 2.50 करोड़ से कम है और जो अभी तक योजना के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, वहां प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक आर.डी.टी.सी।
3.	डीटीसी	आकांक्षी जिलों और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति जिला एक डीटीसी (उन जिलों को छोड़कर जिनमें आईडीटीआर/आरडीटीसी पहले से स्वीकृत है)। यदि अन्य जिलों से प्रस्ताव नहीं आते हैं तो 20 लाख से अधिक आबादी वाले जिले के लिए एक से अधिक डीटीसी।

तदनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य नए आईडीटीआर के लिए योग्य नहीं है। तथापि, राज्य दो आरडीटीसी के लिए योग्य है। योजना प्रावधानों के अनुसार राज्य डीटीसी के लिए भी योग्य है।

*****